भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5695

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर का पता लगाना और इसकी रोकथाम

5695. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने और इसकी रोकथाम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कैंसर रोगियों को समय पर उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कैंसर उपचार तक पहुंच में सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का कैंसर रोगियों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत, देश भर में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट, 372 जिला डे केयर सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में कैंसर सहित सामान्य एनसीडी की जांच, उपचार और रोकथाम के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सहित इन सामान्य गैर संचारी रोगों की जांच ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों सहित सेवा प्रदायगी के 12 पैकेजों का अभिन्न अंग है।

विशिष्ट कैंसर परिचर्या सुविधा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत उन्नत कैंसर परिचर्या प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 19 राज्य कैंसर संस्थान और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, नैदानिक, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सुविधा केन्द्रों के साथ सभी 22 नए एम्स में कैंसर उपचार सुविधा केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। सरकार द्वारा सुपर स्पेशियलिटी परिचर्या प्रदान करने के लिए झज्जर में 1,460 रोगी परिचर्या बिस्तरों और उन्नत नैदानिक एवं उपचार सुविधाओं वाले राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई) तथा कोलकाता में 460 बिस्तरों वाले चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर स्थापित किया गया है।

(ग): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) में 12.37 करोड़ परिवारों के तदनुरूप लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम स्तरीय और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रति परिवार वार्षिक 5 लाख रुपए का प्रावधान है। हाल ही में, एबी पीएम-जेएवाई ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों चाहे उनकी आय कुछ भी हो, को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया है। एबी पीएम-जेएवाई के स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) का नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर कैंसर के लिए उपचार सहित 27 स्पेशियलिटी में 1961 प्रक्रियाओं के अनुरूप उपचार प्रदान करता है।

पीएमजेएवाई के तहत, 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के 68 लाख से अधिक कैंसर उपचार किए गए हैं। केंद्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 75.81% उपचारों का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों द्वारा उठाया गया था। कैंसर परिचर्या के लिए लक्षित उपचारों के संबंध में, कैंसर परिचर्या के लक्षित उपचारों के लिए 985 करोड़ से अधिक के 4.5 लाख से अधिक उपचार किए गए हैं। इनमें से 76.32% का लाभ पीएम-जेएवाई के तहत ग्रामीण लाभार्थियों द्वारा लिया गया था।

(घ) और (ङ): केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार, सरकार अगले 3 वर्षों में जिला अस्पतालों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) स्थापित करने की योजना बना रही है, जिनमें से 200 केंद्र वर्ष 2025-26 में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

जिला अस्पतालों में कैंसर परिचर्या अवसंरचना, चिकित्सा कार्मिकों और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता का आकलन करने के लिए एक व्यापक अंतराल विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षों के आधार पर, इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श से उच्च कैंसर भार वाले और कैंसर परिचर्या सेवाओं तक सीमित पहुंच वाले जिलों में डीसीसीसी स्थापित करने की योजना बनाई है। इन जिलों के चयन से राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और विशिष्ट कैंसर परिचर्या केन्द्रों (टीसीसीसी) के साथ सुदृढ़ रेफरल संपर्क सुनिश्चित होगा ताकि निर्बाध परिचर्या प्रदान की जा सके।

*****